पत्रांक–कारा / बजट(उप)–03–02 / 16....15...

# बिहार सरकार
## कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
## गृह विभाग।

प्रेषक,

**आनन्द किशोर,**
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

सेवा में,

**अधीक्षक,**
उपकारा बाढ़ / पटनासिटी / दानापुर / रोसड़ा / हिलसा /
मसौढ़ी / बगहा / बेनीपुर / झंझारपुर / शेरघाटी / बिक्रमगंज /
नवगछिया / दलसिंहसराय / वीरपुर / दाउदनगर / बक्सर /
उदाकिशुनगंज।

पटना, दिनांक 03-4-.2016

विषयः–**मुख्य शीर्ष–2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष–00, मांग सं0 22, लघुशीर्ष–101 जेल, उपशीर्ष–0003 उप जेल के तहत् वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु विभिन्न आकस्मिक मदों की निकासी हेतु ₹6,43,93,000 (छः करोड़ तैतालीस लाख तीरानबे हजार रूपये मात्र) आवंटन की स्वीकृति।**

**विपत्र कोड–N-2056001010003**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक–ब17 / बी0एस0जी0–18 / 2016–423 / वि0 दिनांक 31.03.2016 तथा ज्ञाप संख्या–2561 / वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपबंधित राशि में से संलग्न विवरणी के अनुसार प्रत्येक उपकारा के सामने अंकित राशि का अतिरिक्त आवंटन विभिन्न आकस्मिक मदों में स्वीकृत किया जाता है।

2. इस आवंटन की स्वीकृति मुख्य शीर्ष–2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–101 जेल, मांग सं0–22, उपशीर्ष–0003 उप जेल (विपत्र कोड–N2056001010003) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में बजट उपबंधित राशि से निर्गत किया जा रहा है।

3. इस आवंटन के अन्तर्गत किये जाने वाले व्यय में, बिहार वित्तीय नियमावली, वित्तीय नियमावली 2005 (संशोधित) एवं इनके अन्तर्गत निर्गत समस्त नियमों, अनुदेशों तथा वित्त विभाग के ज्ञाप सं0 2561 / वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 में निहित अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. आवंटित राशि के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने, मितव्ययिता बरतने तथा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु वित्त विभाग सहित विभागीय आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. सरकारी / अर्द्ध सरकारी संस्थानों को भुगतान में प्राथमिकता दी जाय।

6. इस राशि का विकलन मुख्य शीर्ष– 2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष– 101 जेल, उपशीर्ष–0003 उप जेल के तहत् होगा। काराधीक्षकों को निदेश दिया जाता है कि संलग्न विवरणी में उल्लिखित मदों की कूट संख्या, मांग संख्या–22 एवं विपत्र कोड–N2056001010003 का उल्लेख विपत्रों पर अवश्य करें अन्यथा कोषागार द्वारा विपत्र पारित नहीं किया जायेगा।

7. सामग्री एवं पूर्तियाँ / आहार / पथ्य मद में आवंटित की जाने वाली राशि से प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम जिन कारा निर्माणशालाओं से सामग्रियों /खाद्य पदार्थों का उठाव किया गया है उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। निर्माणशाला में उत्पादित सामग्री / खाद्य पदार्थों का क्रय किसी भी परिस्थिति में बाजार /आपूरक / अन्य एजेंसी से नहीं किया जाएगा।

8. कारा निर्माणशाला से निर्गत होने वाले सामग्रियों का क्रय उक्त कारा से ही किया जाएगा अथवा किया गया है और किसी अन्य श्रोत से उनका क्रय नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण पत्र संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र पर अंकित करेंगे। साथ ही काराधीक्षक विभागीय पत्रांक–1395 दिनांक–03.03.2015 एवं 3804 दिनांक–26.06.2008 के शत–प्रतिशत अनुपालन हेतु उत्तरदायी होंगे।

9. वर्तमान आवंटन कारा निरीक्षणालय में प्राप्त/अद्यतन संधारित बंदी संख्या के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। काराओं में संसीमित वास्तविक बंदी संख्या एवं क्रय समितियों द्वारा अनुमोदित दर के अधीन ही संगत मदों में राशि का नियमानुसार व्यय किया जायेगा। यदि किसी मद में राशि की बचत संभावित होती है तो ससमय प्रत्यर्पित कर दिया जायेगा। यदि अतिरिक्त राशि की आवश्यकता संभावित है तो पूर्ण औचित्य सहित ससमय अधियाचना प्रस्तुत किया जायेगा। स्पष्ट औचित्य के बिना प्राप्त अधियाचना विचारित नहीं की जायेगी।

10. प्रत्येक मद में आवंटित राशि से अधिक का व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय तथा एक मद से दूसरे मद में राशि का विचलन नहीं किया जाय।

11. मासिक व्यय की ईकाईवार विवरणी टी0भी0 नं0 के साथ यथा पूर्व निदेशित ससमय अनिवार्य रूप से निरीक्षणालय में उपलब्ध करा दिया जाय। व्यय विवरणी में पूर्व माह का व्यय, वर्त्तमान माह का व्यय एवं कुल अद्यतन व्यय का उल्लेख अवश्य किया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बरतने अथवा विलम्ब होने पर इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन

3/5/16

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना

ज्ञापांक–कारा/बजट(उप)–03–02/16–15 /पटना, दिनांक 3-5-2016

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ महालेखाकर, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/5

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना

ज्ञापांक–कारा/बजट(उप)–03–02/16–15 /पटना, दिनांक 3-5-2016

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/5

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना

ज्ञापांक–कारा/बजट(उप)–03–02/16–15 /पटना, दिनांक 3-5-2016

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/5

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना

E:\SYS. IUAIL I\ALLOTMENT AND EXPENDITURE\2016-17\SJ\Allotment SJ Akasmik 02.04.2016.doc

## वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु आकस्मिकता मद में उपकाराओं को आवंटन की विवरणीः–

मांग संख्या–22, मुख्य शीर्ष–2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–101 जेल, उपशीर्ष–0003 उप जेल, विपत्र कोड–एन–2056001010003

| I | कूट संख्या | 21 03 | 21 02 | 21 01 | 13 01 | 13 02 | 13 03 | 13 04 | 13 06 | 14 01 | योग | शब्दों में |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | मद | आहार / पथ्य | दवा भंडार | सामग्री एवं पूर्तियाँ | कार्यालय व्यय | वाहन का ईधन | दूरभाष | विधुत प्रभार | वर्दी / पोशाक | किराया एवं महसूल कर | | |
| क्र0 | कारा का नाम | वर्त्तमान आवंटन | वर्त्तमान आवंटन | वर्त्तमान आवंटन | वर्त्तमान आवंटन | वर्त्तमान आवंटन | वर्त्तमान आवंटन | वर्त्तमान आवंटन | वर्त्तमान आवंटन | वर्त्तमान आवंटन | | |
| 1 | उपकारा, बाढ़ | 5893000 | 252000 | 569000 | 350000 | 70000 | 25000 | 400000 | 100000 | 50000 | **7709000** | सतहत्तर लाख नौ हजार रूपये मात्र |
| 2 | उपकारा, पटनासिटी | 1647000 | 70000 | 159000 | 106000 | 40000 | 15000 | 300000 | 80000 | 30000 | **2447000** | चौबीस लाख सैतालीस हजार रूपये मात्र |
| 3 | उपकारा, दानापुर | 3091000 | 132000 | 298000 | 198000 | 50000 | 15000 | 300000 | 90000 | 20000 | **4194000** | एकतालीस लाख चौरानवे हजार रूपये मात्र |
| 4 | उपकारा, हिलसा | 5944000 | 255000 | 574000 | 350000 | 70000 | 25000 | 350000 | 110000 | 20000 | **7698000** | छिहत्तर लाख अनठानवे हजार रूपये मात्र |
| 5 | उपकारा, मसौढ़ी | 2191000 | 94000 | 211000 | 150000 | 50000 | 20000 | 350000 | 90000 | 40000 | **3196000** | एकतीस लाख छियानवे हजार रूपये मात्र |
| 6 | उपकारा, शेरघाटी | 3872000 | 166000 | 373000 | 240000 | 60000 | 20000 | 400000 | 80000 | 20000 | **5231000** | बावन लाख एकतीस हजार रूपये मात्र |
| 7 | उपकारा, बक्सर | 135000 | 5000 | 13000 | 50000 | 40000 | 15000 | 250000 | 70000 | 0 | **578000** | पाँच लाख अठहत्तर हजार रूपये मात्र |
| 8 | उपकारा, विक्रमगंज | 1511000 | 64000 | 145000 | 100000 | 50000 | 15000 | 300000 | 80000 | 0 | **2265000** | बाईस लाख पैसठ हजार रूपये मात्र |
| 9 | उपकारा, बगहा | 5129000 | 220000 | 495000 | 250000 | 60000 | 25000 | 400000 | 110000 | 0 | **6689000** | छियासठ लाख नवासी हजार रूपये मात्र |
| 10 | उपकारा, बेनीपुर | 1732000 | 74000 | 167000 | 110000 | 40000 | 20000 | 300000 | 80000 | 0 | **2523000** | पच्चीस लाख तेईस हजार रूपये मात्र |
| 11 | उपकारा, झंझारपुर | 2327000 | 99000 | 224000 | 149000 | 50000 | 20000 | 300000 | 70000 | 0 | **3239000** | बत्तीस लाख उनचालीस हजार रूपये मात्र |
| 12 | उपकारा, रोसड़ा | 2632000 | 112000 | 254000 | 169000 | 50000 | 20000 | 300000 | 80000 | 0 | **3617000** | छत्तीस लाख सतरह हजार रूपये मात्र |
| 13 | उपकारा, दलसिंहसराय | 883000 | 37000 | 85000 | 100000 | 40000 | 15000 | 250000 | 80000 | 0 | **1490000** | चौदह लाख नब्बे हजार रूपये मात्र |
| 14 | उपकारा, नवगछिया | 3244000 | 139000 | 313000 | 208000 | 60000 | 15000 | 300000 | 80000 | 30000 | **4389000** | तैतालीस लाख नवासी हजार रूपये मात्र |
| 15 | उपकारा, वीरपुर | 1443000 | 61000 | 139000 | 100000 | 40000 | 15000 | 300000 | 60000 | 0 | **2158000** | इक्कीस लाख अनठावन हजार रूपये मात्र |
| 16 | उपकारा, दाउदनगर | 2292000 | 98000 | 221000 | 150000 | 60000 | 20000 | 300000 | 90000 | 30000 | **3261000** | बत्तीस लाख एकसठ हजार रूपये मात्र |
| 17 | उपकारा, उदाकिशनगंज | 2615000 | 112000 | 252000 | 170000 | 50000 | 20000 | 400000 | 90000 | 0 | **3709000** | सैतीस लाख नौ हजार रूपये मात्र |
| | **योग** | **46581000** | **1990000** | **4492000** | **2950000** | **880000** | **320000** | **5500000** | **1440000** | **240000** | **64393000** | **छः करोड़ तैतालीस लाख तिरानवे हजार रूपये मात्र।** |

**सहायक** **प्रशाखा पदाधिकारी** **उपनिदेशक (बजट एवं लेखा)** **महानिरीक्षक**